न्यायालय-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट 25, बाराबंकी।
CNR No. UPBB040306692022

विनीत कुमार तिवारी बनाम रामकिशोर आदि।
थाना-रामसनेहीघाट, जिला-बाराबंकी।

दिनांकः 10.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पत्रावली परिवादी के बयान अंतर्गत धारा-200 दं०प्र०सं० हेतु विगत कई तिथियों से लगातार नियत चली आ रही है, परन्तु परिवादी साक्ष्य अंतर्गत धारा-200 दं०प्र०सं० हेतु हाजिर नहीं आ रहा है। परिवादी को बयान अन्तर्गत धारा-200 दं०प्र०सं हेतु अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है। आज पुकार पर भी परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है तथा न ही हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी अपने परिवाद पर बल नहीं देना चाहता है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० तलबी हेतु पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में एवं परिवादी की लगातार अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा-203 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(उज्ज्वल उपाध्याय),
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट 25, बाराबंकी।
J.O. Code UP 2257